नम्बर व तारीख अहलकार जो इसे ... की तारीख में जारी ...

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 20/2024 (जीसीएमएस सं.–2024/63)

दायर दिनांक 29.11.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

———आवेदक

बनाम

श्री भागीरथ शर्मा पुत्र मोहन लाल (विक्रेता एवं मालिक), निवासी वार्ड न. 27 एस के माडल स्कूल के पास सूरतगढ़ मै0– श्री बालाजी मिष्ठान भण्डार चौधरी चरण सिंह चौक, सूरतगढ़

——अभियुक्त

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ शर्मा, अभियुक्त,

### परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय ::

दिनांकः–04/09/2025

1. यह परिवाद आवेदक श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 06.08.2024 को पद पर कार्य करने के लिये अधिकृत है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प. 5 (01) चिस्वा/ग्रुप– 3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/ 2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनाक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2024 को समय 11:35 ए.एम. बजे को मैसर्स श्री बालाजी मिष्ठान भण्डार, चौधरी चरण सिंह चौक, सूरतगढ़, जिला–श्रीगंगानगर पर पहुंचा, मौके पर श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक), निवासी वार्ड नं. 27 नया, एस के माडल स्कूल के पास सूरतगढ, श्रीगंगानगर को अपना परिचय देकर संस्थान में रखे समोसा नमकीन के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक), एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक), को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) को 02 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) का नगद भुगतान 240 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढ़कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2410 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2410 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सीलबंद चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन [illegible] भी पढ़कर समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं 6 की छः प्रतियां तैयार की [illegible] सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फा[illegible] की प्रति के आ[illegible]वर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक [illegible] जमा कराकर [illegible] फॉर्म सं. 6 [illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़



Scanned with OKEN Scanner

एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2024/904–906 दिनांक 05.09.24 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या L.S.948/Act/2024/948 दिनांक 16.08.2024 सब–स्टैण्डर्ड फूड as extracted oil does not conform the standard of soyabean oil- होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है व इसी पत्रांक द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक), मैसर्स श्री बालाजी मिष्ठान भण्डार, चौधरी चरण सिंह चौक, सूरतगढ, श्रीगंगानगर ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1258–59 दिनांक 16.11.2024 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है। श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल (विक्रेता एंव मालिक) ने खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् विक्रेता व मालिक एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–31 (2) की श्रेणी में आता है।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त श्री भागीरथ शर्मा स्वयं हाजिर आये एवं दिनांक 27.08.2025 को जवाब नोटिस पेश किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अभियुक्त ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को बहस मानने हेतु निवेदन किया तथा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थी चौधरी चरणसिह चौक के पास, सूरतगढ में एक दूकान किराया पर लेकर बालाजी मिष्ठान भण्डार के नाम से चाय व समौसा आदि बेचने का कार्य करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है। दिनांक 6–8–2024 को मेरी उक्त दूकान से श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समौसा के सैम्पल लिये गये थे जिनके काफी समय बाद उक्त नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी को पता चला है कि उक्त समौसा का सैम्पल सब स्टैंडर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी तरफ से काफी ध्यान रखकर व बाजार से अच्छी कम्पनी का तेल लेकर उसका प्रयोग कर समौसा बनाया जाता है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी जानकारी में किसी प्रकार की मिलावट आदि नहीं की जाती है यदि प्रार्थी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कम्पनी तेल में किसी प्रकार की खराबी है तो इसकी प्रार्थी को जानकारी नही है। प्रार्थी द्वारा बेचे जा रहे समौसा के लिए गए सैम्पल जो सब स्टैंडर्ड पाये गए है उसमें प्रार्थी द्वारा जान बूझकर किसी प्रकार की खराबी/मिलावट नही की गई है इसके बावजूद यदि प्रार्थी से समौसा बनाए जाने के दौरान भूलवंश किसी प्रकार की गलती हुई है जिसके कारण समौसा सरकारी मानकों के अनुसार सब स्टैंडर्ड पाया गया है तो प्रार्थी उसके लिए क्षमाप्रार्थी है व भविष्य में हर प्रकार से ध्यान रखने के लिए पाबन्द रहेगा। अतः जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर निर्णय किये जाने की कृपा करें।

5. अभियुक्त की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। फूड एनालिस्ट, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर राजस्थान की रिपोर्ट क्रमांक L.S.948/Act/2024/948 दिनांक 16.08.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइन्ड सोयाबीन से निर्मित) का नमूना के–2410 **Sub Standard food as extracted oil does not conform the standard of soyabean oil** होना पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा **Sub Standard food as extracted oil does not conform the standard of soyabean oil** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्देनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी श्री भागीरथ शर्मा पुत्र मोहनलाल (मालिक व विक्रेता) निवासी वार्ड न. 27 नया, एस के माडल स्कूल के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार, चौधरी चरण सिंह चौक, सूरतगढ को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:17 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner